

Om Miniraj Building and Construction Services Private Limited

कस्टमर एग्रीमेंट

- 100 गज मकान का लैंटर लगाने का टाईम केवल (28) दिन
- 150 गज मकान का लैंटर लगाने का टाईम केवल (38) दिन
- 200 गज मकान का लैंटर लगाने का टाईम केवल (56) दिन
- 250 गज मकान का लैंटर लगाने का टाईम केवल (65) दिन
- 300 गज मकान का लैंटर लगाने का टाईम केवल (85) दिन
- ऐसे ही 50 गज बढोतरी पर 15 दिन का टाईम बढता चला जायेगा
- (1) अगर इन दिनो में कम्पनी कस्टमर का लैंटर लगाने में असमर्थ होती है तो कम्पनी इसके एवज में 5000/ रुपए बतौर 3 महिने तक कस्टमर को अदा करेगी
- (2) अगर कम्पनी के साथ किए गए एग्रीमेंट से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कार्य करते है तो कम्पनी ऐसे किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देगी इसका अधिकार कम्पनी के पास सुरक्षित रहेगा
- (3) अगर कस्टमर एग्रीमेंट से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कार्य करता पाया जाता है तो कम्पनी ऐसे मे 2000/ रुपए Sqfit के हिसाब से पैसे लेने का अधिकार कम्पनी का होगा और जब तक कस्टमर अपनी पुरी पेमेंट कम्पनी को जमा नहीं करता तब तक कोई भी कार्य आरम्भ नहीं होगा
- (4) अगर कस्टमर कंस्ट्रक्शन कार्य को एग्रीमेंट से ज्यादा करके कम्पनी को गुमराह करता है तो कम्पनी लेट फीस 5000/ रुपए कि रकम कम्पनी को रोकने का पुरा पुरा अधिकार रहेगा, ऐसा करने पर कम्पनी कोई राशी का भुगतान नहीं करेगी
- (5) कम्पनी द्वारा भेजा गया माल मटीरियल कस्टमर कि देख रेख मे होगा कस्टमर अपने माल मटीरियल कि देख रेख स्वयं करेगा
- (6) अगर कस्टमर कि वजह से कोई भी माल मटीरियल कि खराबी होती है या कस्टमर अपने माल मटीरियल को साईड से हटा कर बेचता है तो कस्टमर उस माल मटीरियल का हर्जाना मार्किट रेट से कम्पनी को जमा करना पड़ेगा अन्यथा उस कार्य को पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जायेगा जब तक उसका हर्जाना जमा न हो

- (7) अगर कस्टमर को कम्पनी से कोई भी शिकायत होती है तो कस्टमर अपने नजदीकी औफिस मे रखी शिकायत पुस्तिका मे दर्ज कर सकता है उस शिकायत का 48 धंटे मे निवारण किया जायेगा और पुरी सन्तुष्टी कि जायेगी
- (8) अगर कस्टमर को कम्पनी द्वारा भेजा गया माल मटीरियल पसन्द नहीं आता है तो कस्टमर उस मटीरियल को वापस करने का पुरा पुरा अधिकार प्राप्त है पर गांडी खाली करने से पहले अधिकार है अगर कस्टमर गांडी खाली करवा लेता है तो फिर वहीं माल मटीरियल लगवाना पड़ेगा
- (9) कस्टमर को कम्पनी द्वारा दिया गया ठेकेदार पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाते हैं या लडाई झगड़ा करके लेबर को भगाते हैं और ऐसा करने पर कार्य बन्द होता है तो जब तक कंस्ट्रक्शन कार्य प्रारंभ नहीं होता इसके बीच के दिन कि गिनत में नहीं लगाए जायेंगे
- (10) जब भी कोई माल मटीरियल कस्टमर के पास पहुंचता है तो कस्टमर को इसके बारे मे अपने नजदीक औफिस मे सुचना देना अनिवार्य है
- (11) कस्टमर को हर रोज अपने कंस्ट्रक्शन कार्य कि विडिओ बना कर दिए गए फोन नंबर के whatsapp पर भेजना अनिवार्य है अगर कस्टमर ऐसे नहीं करता है और कार्य में बाधा आती है तो वह कस्टमर कि लापरवाही समझी जायेगी और कार्य में बाधा होगी तो वो दिन भी गिनती में नहीं होगी
- (12) प्लाट कि मिट्टी भरत में जो दिन लगेगा वो दिन भी गिनती में नहीं लगेगा
- (13) मकान बनाते वक्त पुलिस प्रशासन, नगर-निगम, मार्किट कमेटी, पंचायत, महापंचायत, लडाई झगडा व अन्य प्रशासनिक कार्रवाई कि वजह से अगर कार्य करने बाधा आती तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्लाट मालिक कि होगी इसमे कम्पनी या कम्पनी के ठेकेदार कि कोई जिम्मेदारी नहीं होगी
- (14) कस्टमर को अपनी बुकिंग करने के बाद मात्र 8 दिन में अपनी पुरी पेमेंट जमा करवाना अनिवार्य है अन्यथा उस बुकिंग को कैंसल समझा जायेगा व बुकिंग राशी वापस नहीं मिलेगी